

कार्यकानाम :- वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगांव मार्ग (राज्य मार्ग संख्या -84) के चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास मार्ग (ल. 6.56 कि.मी.) कुल लंबाई 25.66 कि मी का चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाली संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु आवेदन

प्रस्तावक का नाम :- प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी

प्रस्ताव संख्या:- FP/UP/ROAD/25364/2017

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल :- 24.92755 हेक्टेयर

शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के भुगतान करने की वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग मैनपुरी द्वारा शिकोहाबाद भोगांव (राज्यमार्ग संख्या 84) पर मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाली आवेदित संरक्षित वनभूमि 24.92755 हेक्टेयर है। आवेदित संरक्षित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी धनराशि निर्धारित की जाएगी उस धनराशि का भुगतान प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग मैनपुरी द्वारा वन विभाग को नियमानुसार किया जाएगा तथा भविष्य में वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य में कोई वृद्धि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा की जायेगी तो उसका अनुपालन प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग मैनपुरी द्वारा वन विभाग को नियमानुसार किया जाएगा।

S.K. Ambekar
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

K. K. Jain
6-5-17
क्षेत्रीय अधिकारी
रेज मैनपुरी

(डी. के. चौधरी)
अधिसूचक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०,
मैनपुरी।